फर्द अहकाम

चेतन लाल बनाम जगदीश व अन्य

ख्या: /2025 35/2025

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
20.03.2025	वकील वादी ने दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर दिनांक 17/4/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 2044-45 27/3/25
17/4/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। वकील वादी ने प्रतिवादीगण का जारी नोटिस, डाक रजिस्ट्री रसीद व ट्रेक रिपोर्ट पेश किये। वास्ते इन्तजार तामील हेतु दि० 15/5/25 को पेश हो। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	
15/5/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना अनुपस्थित। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वकील वादी की बहस सुनी गयी। वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	वादी 15/5/25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 85 / 2025
निर्णय दिनांक : 15.05.2025

उनवान

1. चेतन लाल कुमावत पुत्र स्वर्गीय श्री कल्याण सहाय कुमावत, निवासी प्लाट नम्बर 01, महादेव नगर नन्दपुरी रोड, 22 गोदाम, जयपुर राजस्थान जयपुर।

वादी

बनाम

1. जगदीश चन्द कुमावत पुत्र स्वर्गीय श्री कल्याण सहाय कुमावत निवासी प्लाट नम्बर 01, महादेव नगर नन्दपुरी रोड, 22 गोदाम, जयपुर राजस्थान जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सांगानेर जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955

निर्णय

वादी ने दावा बावत स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियतम 1955 का पेश किया है जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम हरवंशपुरा, पटवार हल्का जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है तथा पूर्वजो के जमाने से ही निवास व काबिज काश्त करते चले आ रहे तथा कृषि आदि का कार्य करके अपना जीवनयापन करते चले आ रहे हैं वादी की खातेदारी भूमि ग्राम हरवंशपुरा, पटवार हल्का जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी की खातेदारी कृशि भूमि के खसरा नम्बर 159 / 1 रकवा 0.85 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 160 / 1 रकबा 0.4000 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकवा 1. 2500 हैक्टेयर खातेदारी भूमि स्थित है तथा वादी अपने परिवार के साथ काबिज काश्त करते चले आ रहे है जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम 120 मीटर व कुए से लगवा उत्तर से दक्षिण 104 मीटर जिसकी चारो दिशाओ में पूर्व में अन्य खातेदार की भूमि, पश्चिम में सरकारी रास्ता आमद रफ्त, उत्तर में जगदीश चन्द कुमावत के खसरा नम्बर 159 की कृशि भूमि व दक्षिण बाबूडी देवी की कृशि भूमि खसरा नम्बर 160 स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1.25 हैक्टेयर की भूमि स्थित है। प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी भूमि वादी की उक्त खातेदारी की भूमि से लगवा स्थित है। प्रतिवादी संख्या 01 वादी से द्वेशता रखते है ओर वादी की खातेदारी भूमि को पर जबरन कब्जा करके पुख्ता निर्माण करने पर आमादा रहेते है और वादी की खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा करके पुख्ता निर्माण करवाने के लिये वादी के खसरा नम्बर 159 / 1 उत्तर दिशा की ओर प्रतिवादी संख्या 01 की लगवा खातेदारी भूमि स्थित है ओर प्रतिवादी संख्या 01 अपनी खातेदारी भूमि की आड में मिन वादी की खातेदारी भूमि को प्रतिवादी संख्या अपनी भूमि में शामिल करके पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है ओर प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी खातेदारी भूमि द्वारा निर्माण सामग्री डलवा रखी है ओर मिन वादी की उक्त खातेदारी भूमि पुख्ता निर्माण करने के लिये बिना अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये बिना किसी कानूनी अधिकार के वादी की करीब 9 से 10 फीट अन्दर घुसकर नींव खुदवाने का प्रयास कर रहे ओर कच्चे डोल पर लगे हुये

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

पेडो को हटाकर वादी की भूमि को कब्जा करने पर आमदा है तथा प्रतिवादी संख्या 01 वादी के हरे भरे पेडो को रात को ही काटकर ले गये है तथा वादी की खातदोरी भूमि के खसरा नम्बर 159/1 उत्तर दिशा में करीब 9 से 10 फीट घूसकर जिसको संलग्न नक्शा ट्रैस में लाल रंग से ए बी सी डी भाग से दर्शाया गया है, प्रतिवादी संख्या 01 अपनी भूमि में अवैध रूप से शामिल करके कब्जा करने पर आमादा है तथा मकानात बनाने पर आमदा है। मिन वादी की उपरोक्त विवादित खातेदारी भूमि पर मिन वादी अपने परिवार के साथ काबिज काश्त करते चले आ रहे है जबकि उक्त मिन वादी की खातेदारी भूमि के लगवा खातेदारी भूमि प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी भूमि है ओर प्रतिवादीसंख्या 01 मिन वादी की खातेदारी भूमि को अपनी खातेदारी भूमि में शामिल करके कब्जा करने की नियत रखते है और आये दिन मिन वादी को हैरान व परेशान करते रहते है और इसी उद्देश्य से प्रतिवादी संख्या 01 ने वादी की खातेदारी भूमि की कच्ची डोल को फोडकर कब्जा करने पर आमादा हैं एवं मिन वादी की भूमि पर पिलरो को लगाकर तारबंदी कर कब्जा करने पर आमादा हैं। मिन वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 को काफी समझाया गया परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 अपने कृत्यो से बाज नही आ रहे जिससे प्रतिवादी संख्या 01 के हौसले बुलंद हो गये है और मिन वादी को एलानिया धमकीया दे रहे है कि हमारी ऊंचे अधिकारियो से साठ गाठ है इससे हमारा कुछ भी नही बिगाड पायेगे तथा हम कब्जा करके ही दम लेगे। वर्तमान में जमीनों के भाव आसमान छू रहे है इस कारण प्रतिवादीगण की नियत में फितुर आ चुका है। प्रतिवादीगण मिलकर को दिनांक 10.03.2025, को असामाजिक तत्वों को साथ लेकर मौके पर आये ओर वादीगण की खातेदारी भूमि पर नाजायज तरीके से कब्जा करके कब्जे काश्त की भूमि में बाधा कारित करने लगे ओर वादीगण को बेदखल करने का अनाधिकृत रूप से प्रयास करने लगे ओर धमकी देने लगे कि वादी को उपरोक्त आराजी भूमि से बेदखल कर देगे ओर वादी की उपरोक्त खातेदारी आराजी भूमि पर पुख्ता निर्माण तथा अवैध कॉलोनी बसाने तथा भूमि का बेचान, रहन एवं विकय, हस्तातरण करने की धमकी दी। प्रतिवादी किसी भी कीमत पर बिना किसी अधिकार के कानून को हाथ में लेकर उक्त खातेदारी भूमि को खुर्द–बुर्द करने एवं हस्तातरण करने एवं वादी को उपरोक्त विवादित आराजी भूमि से बेदखल कर वंचित करने पर तुले हुए है एवं वादीगण को अपने कब्जेशुदा भूमि के उपयोग–उपभोग करने में बाधा कारित करने पर तुले हुए है प्रतिवादी अन्य से मिलकर उक्त भूमि पर अनाधिकृत निर्माण करने पर आमादा हो रहे है एवं अवैध कॉलोनी बसाने का निर्माण बसाने पर आमादा है और जिसके लिए मौके पर निर्माण सामग्री आदि इक्ठी कर रखी है और युद्ध स्तर पर निर्माण करने पर आमादा है जिसका कि किसी भी पक्षकार को कोई वैधानिक अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 01 अपने नापाक इरादो में कामयाब हो गये और वादी की उपरोक्त शामलाती आराजी भूमि का कब्जा एवं काश्त एवं उपयोग उपभोग में बाधा कारित एवं बेदखल कर उक्त सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द कर दिया तो वादी अपनी राजस्व रिकॉर्ड एवं कब्जे शुदा भूमि से वंचित हो जायेगे तथा मिन वादी को ऐसी क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ति किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नही होगा। वादी की भूमि पर दिनांक 10.03.2025, 15.03.2025 तथा 18.03.2025 को प्रतिवादी सख्या 01 मौके पर असामाजिक तत्वो के साथ आकर वादी को धमकी दी कि वह चाहे जो भी कर ले उपरोक्त विवादित आराजीयाज कृषि भूमि को कब्जा करके अपनी खातेदारी भूमि को हस्तान्तरित तथा पुख्ता निर्माण करवाकर ही दम लेगे और वादी तथा उसके परिवार की कब्जे काश्त एवं शांतिपूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

कब्जे व उपयोग उपभोग तथा रहन सहन मे बाधा कारित कर देगे तथा वादी को उसकी खातेदारी भूमि की सम्पत्ति से बेदखल कर देगे। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 असामाजिक तत्वो से सांठ–गांठ कर रखी है एवं संख्या बल में अधिक है और प्रतिवादी संख्या 01 अपने नापक इरादो को अंजाम देने की नियत से कानून को हाथ में लेकर वादी एवं उसके परिवार को उपरोक्त सम्पत्ति से बेदाल करने का प्रयास कर रहे है तथा नाजायज तरीके से पुख्ता निर्माण कार्य करवाकर अन्य लोगो को कब्जा करवाने पर तुले हुये है तथा वादी की खातेदारी को कब्जा करने के लिय मोके पर निर्माण सामग्री डालने पर आमादा है तथा मना करने पर मान नही रहे है तथा वादी एवं उसके परिवार की कब्जे काश्त एव उपयोग उपभोग की भूमि से वंचित करने पर आमादा है और प्रतिवादी सरख्या 01 अपने नापाक इरादो से बाज नही आ रहे है और येन केन प्रकारेण कानून को हाथ में लेकर वादी को उपरोक्त विवादित कृषि भूमि के अधिकारो से वंचित करने पर तुले हुये है तथा कब्जे काश्त से वंचित तथा उपयोग उपभोग एवं दीगर व्यक्तियो को हस्तान्तरित करने पर आमादा है इस प्रकार वादी प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निशेधाज्ञा से भी पांबद करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 01 वादी की खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार नया निर्माण, मकानात तथा उक्त विवादित भूमि का हस्तान्तरण, रहन, बेचान आदि ना करे और ना ही वादी को उक्त अपनी खातेदारी सम्पत्ति के अधिकारो से वंचित करे एवं वादी के कब्जे काश्त एवं रिकॉर्ड की खातेदारी भूमि में बाधा कारित नही करे तथा ना ही कोई निर्माण कार्य कर एव ना ही वादी को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने का प्रयास करे, ना ही अपने एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि से करावे एवं ऊचा वर्णित भूमि की स्थिति यथावत बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा वादी की खातेदारी की भूमि को कब्जा करके पुख्ता निर्माण करके अपनी खातेदारी भूमि में शामिल करके हस्तान्तरण बेचान, रहन एवं खुर्द–बुर्द करने की धमकी दिनांक 10.03.2025, 15.03.2025 व 18.03.2025 को प्रतिवादी संख्या 01 अपनी लगवा भूमि पर निर्माण सामग्री डालकर, मौके पर मिन वादी की खातेदारी भूमि की तारबंदी, पिल्लरो एवं कच्चा डोले को हटाकर निर्माण करने के लिये नींव खोदने पर आमादा होने पर कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ जो लगातार जारी है और इस कारण दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जावे कि वादी की खतोदारी भूमि ग्राम हरवंशपुरा, पटवार हल्का जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 159/1 व खसरा नम्बर 160/1 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2500 हैक्टेयर से वादी को बेदखल ना करे, ना ही कब्जे काश्त में कोई बाधा कारित करे तथा वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा कारित नहीं करे तथा वादी की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण नही करे और ना ही कब्जा, पुख्ता निर्माण व तारबंदी करे, ना ही स्वयं करे, ना ही अपने एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि के माध्यम से करे तथा वादी की खातेदारी भूमि की स्थिति यथावत बनाये रखे। प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 159/1 व 160/1 की उत्तरी दिशा में करीब 9 से 10 फीट घूसकर प्रतिवादी संख्या 01 अपनी भूमि जिसको संलग्न नक्शा ट्रैस में लाल रंग से ए बी सी डी भाग से दर्शाया गया है, में अवैध रूप से शामिल करके कब्जा नही करे एवं ना ही निर्माण करे एवं वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा कारित करे। प्रतिवादी संख्या 01 को पाबंद किया जावे कि विवादित खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

भूमि खसरा नम्बर 159/1 व खसरा नम्बर 160/1 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2500 हैक्टेयर में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करे, ना ही किसी प्रकार का निर्माण करे तथा वादी के खातेदारी भूमि पर लगे पर लगे पेडो को नही हटाये, ना ही तारबंदी एवं पिल्लरो को हटाये एवं ना ही वादी की खातेदारी भूमि में नींव खोदकर पुख्ता दीवार एवं मकानात का निर्माण करे एवं ना ही अतिक्रमण करके किसी प्रकार का हस्तान्तरण, रहन, बेचान आदि ना करे, ना स्वय करे, ना ही अपने किसी ऐजेण्ट, सर्वेण्ट प्रतिनिधी के माध्यम से करे तथा सम्पत्ति की स्थिति यथावत बनाये रखे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद डॉक रजिस्टरर्ड तामिल सूचना अनुपस्थित। दिनांक 15.05.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश दिये गये। व पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

पत्रावली में बहस अधिवक्ता वादी सूनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जावे कि वादी की खतोदारी भूमि ग्राम हरवंशपुरा, पटवार हल्का जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 159/1 व खसरा नम्बर 160/1 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2500 हैक्टेयर से वादी को बेदखल ना करे, ना ही कब्जे काश्त में कोई बाधा कारित करे तथा वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा कारित नहीं करे तथा वादी की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण नही करे और ना ही कब्जा, पुख्ता निर्माण व तारबंदी करे, ना ही स्वयं करे, ना ही अपने एजेण्ट, सर्वेण्ट, प्रतिनिधि के माध्यम से करे तथा वादी की खातेदारी भूमि की स्थिति यथावत बनाये रखे। प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 159/1 व 160/1 की उत्तरी दिशा में करीब 9 से 10 फीट घूसकर प्रतिवादी संख्या 01 अपनी भूमि जिसको संलग्न नक्शा ट्रैस में लाल रंग से ए बी सी डी भाग से दर्शाया गया है, में अवैध रूप से शामिल करके कब्जा नही करे एवं ना ही निर्माण करे एवं वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग व कब्जे काश्त में बाधा कारित करे। प्रतिवादी संख्या 01 को पाबंद किया जावे कि विवादित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 159/1 व खसरा नम्बर 160/1 कुल किता 2 कुल रकबा 1.2500 हैक्टेयर में किसी प्रकार का अतिक्रमण ना करे, ना ही किसी प्रकार का निर्माण करे तथा वादी के खातेदारी भूमि पर लगे पर लगे पेडो को नही हटाये, ना ही तारबंदी एवं पिल्लरो को हटाये एवं ना ही वादी की खातेदारी भूमि में नींव खोदकर पुख्ता दीवार एवं मकानात का निर्माण करे एवं ना ही अतिक्रमण करके किसी प्रकार का हस्तान्तरण, रहन, बेचान आदि ना करे, ना स्वय करे, ना ही अपने किसी ऐजेण्ट, सर्वेण्ट प्रतिनिधी के माध्यम से करे तथा सम्पत्ति की स्थिति यथावत बनाये रखे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन करने व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुचे है कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम हरवंशपुरा, पटवार हल्का जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी की खातेदारी कृशि भूमि के खसरा नम्बर 159/1 रकबा 0.85 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 160/1 रकबा 0.4000 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1. 2500 हैक्टेयर खातेदारी भूमि स्थित है तथा वादी अपने परिवार के साथ काबिज काश्त करते

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

चले आ रहे है जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम 120 मीटर व कुए से लगता उत्तर से दक्षिण 104 मीटर जिसकी चारो दिशाओ में पूर्व मे अन्य खातेदार की भूमि, पश्चिम मे सरकारी रास्ता आमद रफ्त, उत्तर मे जगदीश चन्द कुमावत के खसरा नम्बर 159 की कृषि भूमि व दक्षिण बाबूडी देवी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 160 स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1.25 हैक्टेयर की भूमि स्थित है। प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी भूमि वादी की उक्त खातेदारी की भूमि से लगता स्थित है। ओर वादी की खातेदारी भूमि को पर जबरन कब्जा करके पुख्ता निर्माण करने पर आमादा रहेते है और वादी की खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा करके पुख्ता निर्माण करवाने के लिये वादी के खसरा नम्बर 159/1 उत्तर दिशा की ओर प्रतिवादी संख्या 01 की लगता खातेदारी भूमि स्थित है ओर प्रतिवादी संख्या 01 अपनी खातेदारी भूमि की आड मे मिन वादी की खातेदारी भूमि को प्रतिवादी संख्या अपनी भूमि में शामिल करके पुख्ता निर्माण करने पर आमादा है प्रतिवादी संख्या 01 ने अपनी खातेदारी भूमि द्वारा निर्माण सामग्री डलवा रखी है ओर मिन वादी की उक्त खातेदारी भूमि पुख्ता निर्माण करने के लिये बिना अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये बिना किसी कानूनी अधिकार के वादी की करीब 9 से 10 फीट अन्दर घुसकर नींव खुदवाने का प्रयास कर रहे और कच्चे डोल पर लगे हुये पेडो को हटाकर वादी की भूमि को कब्जा करने पर आमदा है तथा प्रतिवादी संख्या 01 वादी के हरे भरे पेडो को रात को ही काटकर ले गये हैं। प्रतिवादी किसी भी कीमत पर बिना किसी अधिकार के कानून को हाथ में लेकर उक्त खातेदारी भूमि को खुर्द–बुर्द करने एवं हस्तातरण करने एवं वादी को उपरोक्त विवादित आराजी भूमि से बेदखल कर वंचित करने पर तुले हुए है एवं वादीगण को अपने कब्जेशुदा भूमि के उपयोग–उपभोग करने में बाधा कारित करने पर तुले हुए है प्रतिवादी अन्य से मिलकर उक्त भूमि पर अनाधिकृत निर्माण करने पर आमादा हो रहे है एवं अवैध कॉलोनी बसाने का निर्माण बसाने पर आमादा है और जिसके लिए मौके पर निर्माण सामग्री आदि इकठी कर रखी है और युद्ध स्तर पर निर्माण करने पर आमादा है जिसका कि किसी भी पक्षकार को कोई वैधानिक अधिकार नही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा किया जाता है कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम हरवंशपुरा, पटवार हल्का जयसिंहपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादी की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा नम्बर 159/1 रकबा 0.85 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 160/1 रकबा 0.4000 हैक्टेयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 1. 2500 हैक्टेयर में प्रतिवादीकिसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना करे। उक्त आराजीयात में लगे पेडो को नही हटाये ना ही तारबन्दी एवं पिल्लरो को ना हटाये, ना ही वादी की खातेदारी भूमि में नींव खोदकर पुख्ता मकानात का निर्माण करे। एवं नाही अतिक्रमण करके किसी प्रकार का हस्तान्तरण, रहन, बेचान आदि ना करे। ना किसी ऐजेन्ट, सर्वेन्ट से करावे। वादग्रस्त आराजीयात में मौके की यथास्थिति बनाये रखे। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15.05.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर